-1-

38

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी R-2245-I-16

दशरथ पुत्र बोरा ब्राहम्ण
निवासी– गोयरा जनपद पंचायत गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) ———आवेदक

दिनांक 5-7-16 को श्री डी. एस. सिंह अभि. द्वारा प्रस्तुत।
5-7-16
SO

बनाम

1– सरपंच ग्राम पंचायत गोयरा, जनपद पंचायत गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.)

2– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) ——अनावेदकगण

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
उ.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-म

निगरानी अन्तर्गत धारा–50(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 (नये संशोधन अधिनियम–2011) विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर म.प्र. के प्रकरण कमांक 18/स्व.प्रे.निग./अ–6/15–16 में पारित आदेश दिनांक 11–5–2016 से परिवेदित होकर।

माननीय,

आवेदक का निगरानी आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:–

प्रकरण के तथ्य:–

संक्षेप में इस प्रकार है कि, भूमि खसरा नंबर 904 रकवा 0.470 हैक्टर ग्राम गोयरा में स्थित होकर, उक्त विवादित भूमि के मूल भूमिस्वामी आवेदक के पूर्वज भगवत तनय मनीराम ब्राह्म्ण के नाम पर भूमि स्वामी स्वामित्व में राजस्व अभिलेख में अंकित थी। उक्त विवादित भूमि के भगवत रिकार्डेड भूमि स्वामी थे भगवत के लाऔलाद फौत होने पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना विवादित भूमि पर नामान्तरण पंजी कमांक–29 दिनांक 1.4.2000 के द्वारा भईयादीन तनय बाऊर का नाम दर्ज कर दिया गया तथा भईयादीन ने विवादित भूमि को दिनांक 22.4.2016 को दानपत्र के माध्यम से ग्राम समाज भवन प्रबंधक रमेश माली को अंतरित कर दी गई अनावेदक कमांक–1 द्वारा जब विवादित भूमि पर बिना किसी

-2-

R 2245-I/16 फतेहपुर

8-2-17

निवेदक अभि० की ओर से पत्रावली उपस्थित। आवेदक अभिभावक के निवेदन पर प्रकरण नोटप्रेस में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्र० का० हि० को

[signature] आदेश

P/[illegible]

प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाये।
[signature]
08/02/17
[signature]
नायब तहसीलदार